

3/यो0सं०क०-31/2022

79

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

सुशील कुमार,
संयुक्त सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 7.8.2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में समेकित बाल विकास छत्र योजना अन्तर्गत ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना के तहत राज्य स्कीम मद में कुल रू. 14339.70 लाख (रू. एक सौ तैतालीस करोड उनचालीस लाख सतर हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5724 दिनांक 27.11.2017 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में समेकित बाल विकास छत्र योजना अन्तर्गत ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना के संचालनार्थ राज्य स्कीम मद के सामान्य घटक में रू. 0.01 लाख तथा विशेष घटक में रू. 3584.93 लाख अर्थात् कुल रू. 3584.94 लाख मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 8 दिनांक 13.04.2026 द्वारा दी गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त रू. 14339.70 लाख (रू. एक सौ तैतालीस करोड उनचालीस लाख सतर हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि लाख में)					
क्र०	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1	ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना - सामान्य घटक	(51-2235021020117)	0117.34.01,	0.01	14339.70
कुल योग : (रू. एक सौ तैतालीस करोड उनचालीस लाख सतर हजार)					14339.70

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर जीविका, बिहार, पटना के संबंधित बैंक खाता में नियमानुसार उपलब्ध करायेंगे।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक - 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026, 926/वि० दिनांक 31.07.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0सं०क०-31/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 20/टि० पर दिनांक 07.08.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0संक०-31/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 20/टि0 पर दिनांक- 07.08.2026 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

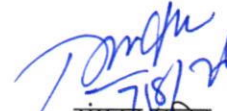

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0संक०-31/2022

79

पटना, दिनांक- 7.8.2026

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

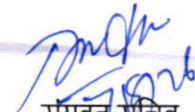

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0संक०-31/2022

79

पटना, दिनांक- 7.8.2026

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

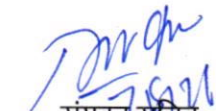

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0संक०-31/2022

79

पटना, दिनांक- 7.8.2026

प्रतिलिपि - विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


संयुक्त सचिव